रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 अप्रैल, 1988

चैत्र 15, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 487 सत्रह-वि-1-(क)1-1988

लखनऊ, दिनांक 4 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1988)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) धारा 2 आठ जनवरी, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 पहली अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छ वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

द्वितीय अनुसूची का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी अर्थात्—

"द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिये]

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताये गये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अर्थात्—

लोकायुक्त	यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय-समय पर क्रमशः अनुमन्य वेतन ।
उप लोक आयुक्त	यदि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय-समय पर अनुमन्य वेतन और किसी अन्य स्थिति में, भारत सरकार के किसी अपर सचिव को समय-समय पर अनुमन्य वेतन :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन या राज्य सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :

(क) पेंशन की राशि; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान का पेंशन समतुल्य ।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1988)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय
सचिव ।

No. 487(2)/XVII-V-1--1(KA) 1-1988

Dated Lucknow, April 4, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lokayukta Tatha Up-Lokayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1938) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 4, 1988.

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 1988

(U. P. ACT NO. 8 OF 1988)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 1988.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on January 8, 1988, section 3 shall be deemed to have come into force on April 1, 1986 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 42 of 1975

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) for the words "five years" the words "six years" shall be *substituted*.

Substitution of Second Schedule

3. For the Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely :—

"THE SECOND SCHEDULE

[*See* Section 5(4)]

There shall be paid to the Lokayukta and the Up-Lokayukta in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say :

Lokayukta — In case he has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court, the salary respectively admissible from time to time to a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court or Judge of a High Court.

Up-Lokayukta — In Case he has been a Judge of a High Court, the salary admissible from time to time to a Judge of a High Court and in any other case, the salary admissible from time to time to an Additional Secretary of the Government of India:

Provided that if the Lokayukta or an Up-Lokayukta at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Government, his salary in respect of service as the Lokayukta or, as the case may be, Up-Lokayukta shall be reduced—

(*a*) by the amount of that pension, and

(*b*) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

(*c*) if he has before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service by the pension equivalent of that gratuity".

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 1 of 1988

4. (1) The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 5 सा० (विधा०)-(21)-1988-850 (मेक०)।